

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225090  
SG-DL-E-11022021-225090

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                    |                            |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 53] | दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2021/ माघ 21, 1942       | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318 |
| No. 53] | DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021/MAGHA 21, 1942 | [N. C. T. D. No. 318       |

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2021

फा.सं. 66/डब्ल्यू.एफ.डी/सी.ओ.टी./ 19-20/10331-39.— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चरण- IV, जनकपुरी पश्चिम से मुकरबा चौक तक (लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित 5.34 किलो मीटर रोड नंबर-26 को छोड़कर) और मुकरबा चौक से डेरावल नगर तक (डेरावल नगर में कट और कवर के हिस्से के प्रस्ताव को छोड़कर) लाइन-8 एक्सटेंशन मेट्रो कॉरीडोर के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 35.2354 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

| स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वृक्षों की संख्या |                      |             | उपभोगी संस्था द्वारा<br>अपेक्षित प्रतिपूरक<br>वृक्षारोपण<br>(वृक्षों की संख्या) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रत्यारोपण हेतु  | काटे<br>जाने<br>वाले | योग         |                                                                                 |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)               | (3)                  | (4)         | (5)                                                                             |
| दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चरण- IV,<br>जनकपुरी पश्चिम से मुकरबा चौक तक (लोक<br>निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित 5.34 किलो मीटर<br>रोड नंबर -26 को छोड़कर) और मुकरबा चौक से<br>डेरवाल नगर तक (डेरवाल नगर में कट और कवर<br>के हिस्से के प्रस्ताव को छोड़कर) लाइन -8<br>एक्सटेंशन मेट्रो कॉरीडोर के निर्माण हेतु । | 1963              | 977                  | 2940        | 29400                                                                           |
| <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1963</b>       | <b>977</b>           | <b>2940</b> | <b>29400</b>                                                                    |

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 16,75,80,000 /- रुपये (सोलह करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

| क्र.सं. | प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लगाए जाने<br>वाले पौधों<br>की संख्या | अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा<br>आकस्मिक व्यय सहित कुल<br>राशि | वन प्रभाग में जमा<br>कराई जाए            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                  | (4)                                                        | (5)                                      |
| (क)     | उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक<br>वृक्षारोपण (2940 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे<br>जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 29400<br>पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम,<br>अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद,<br>देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ<br>का यमुना फ्लड मैदान में आईटीओ ब्रिज से<br>लेकर एन०एच -24 तक फैला -20000 पौधे -<br>90 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा गीता कॉलोनी ब्रिज<br>से शतीवन ड्रेन- 10000 पौधे- 107 हेक्टेयर<br>क्षेत्र में किया जाएगा । | 29400                                | 16,75,80,000 /- /-                                         | उप- वन संरक्षक<br>(पश्चिम)/वन<br>अधिकारी |
| (ख)     | उपभोगी संस्था द्वारा 1963 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े हैं, निम्नलिखित स्थानों में किया जाएगा ।<br>I. नानक वाला बाग, हैदरपुर बादली मोर मेट्रो स्टेशन के पास- 22463 वर्ग मीटर ।<br>II. काली मंदिर के पीछे बाहरी रिंग रोड पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट के 03 पॉकेट्स- 8905 वर्ग मीटर ।                                                                                                                                                                 |                                      |                                                            |                                          |

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 29400 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 2940 वृक्षों को काटे जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 29400 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा।
4. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
5. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
6. इस कॉरिडोर में भूमि के डायवर्सन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत वृक्ष अधिकारी से वृक्ष हटाने की अंतिम अनुमति से पहले प्राप्त कर ली जाएगी।
7. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत वृक्ष अधिकारी से संबंधित मामलों के प्रकरण के परिणाम / निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
8. उपभोगी संस्था द्वारा 4820 वृक्षों के प्रतिपूरक वृक्षारोपण की अनुपालन रिपोर्ट जो कि उप-वन संरक्षक (पश्चिम) द्वारा 03 प्रस्तावों (20 जून, 2018, 27 सितंबर 2019 और 3 अक्टूबर 2019 को अनुमतियाँ प्रदान की गई) के विरुद्ध वृक्षों को हटाने के लिए अग्रिम अनुमति देने से पूर्व, प्रस्तुत की जाएगी।
9. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
10. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ साइट को अतिक्रमण और बायोटेक हस्तक्षेप से सुरक्षित करना होगा।
11. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिये आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
12. वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
14. उपभोगी संस्था द्वारा 2940 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा।
15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
16. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन किया है और प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर में कुछ वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर, जिसके लिए विचाराधीन प्रकरण जो कि उप-वन संरक्षक (पश्चिम)/ वृक्ष अधिकारी के पास है उसके परिणाम / निर्णय को अंतिम अनुमति से पूर्व शर्त के रूप में रखा जाएगा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड परिणाम / निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को भी दी जाएगी।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

## NOTIFICATION

Delhi, the 10th February, 2021

**F.66/WFD/COT/19-20/10331-39.**—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 35.2354 ha. as detailed below for construction of Line-8 Extension Metro corridor from Janakpuri West to Mukarba Chowk (Excluding 5.34 KM on Road No.-26 managed by PWD) and Mukarba Chowk to Deerawal Nagar (Excluding proposal for portion of cut and cover at Derawal Nagar) of Phase-IV of Delhi MRTS under DPTA, 1994 from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

| Location                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Number of trees<br>(recommended for) |            |             | Compensatory<br>Plantation by<br>User Agency<br>(Number of trees<br>saplings) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transplantation                      | Felling    | Total       |                                                                               |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)                                  | (3)        | (4)         | (5)                                                                           |
| Construction of Line-8 Extension Metro corridor from Janakpuri West to Mukarba Chowk (Excluding 5.34 KM on Road No.-26 managed by PWD) and Mukarba Chowk to Deerawal Nagar (Excluding proposal for portion of cut and cover at Derawal Nagar) of Phase-IV of Delhi MRTS under DPTA, 1994. | 1963                                 | 977        | 2940        | 29400                                                                         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1963</b>                          | <b>977</b> | <b>2940</b> | <b>29400</b>                                                                  |

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 16,75,80,000 /- (Rupees Sixteen Crore Seventy Five Lakh Eighty Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

| S.N. | Location of Compensatory plantation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Number of saplings to be planted | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). | To be Deposited with Forest Division.              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                              | (4)                                                                                    | (5)                                                |
| (a)  | 100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling of 2940 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun alongwith other native species shall be carried out by User Agency at River Yamuna Flood Plains ITO Bridge to NH-24 stretch-20000 tree saplings-90 ha. area & Geeta Colony Bridge to Shativan Drain- 10000 tree saplings-107 ha. area. | 29400                            | 16,75,80,000 /-                                                                        | Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer |
| (b)  | Transplantation of 1963 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in following locations.<br>I. Nanak Wala Bagh, Near Haiderpur Badli More Metro Station- 22463 SQM.<br>II. 03 Pockets of DDA Green Belt on outer Ring Road behind Kali Mandir- 8905 SQM.                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                        |                                                    |

2. 100% Compensatory Plantation of 29400 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal of 2940 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
5. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
6. The permission under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of land in this corridor shall be taken by DMRC before the final permission for tree/s removal from Tree Officer under DPTA, 1994.
7. DMRC shall be bound to accept the outcome/ decision of the case pending under DPTA, 1994 before the DCF (West)/ Tree Officer.
8. Submission of compliance report of compensatory plantation of 4820 nos. trees against the 03 proposals (Permissions granted on 20<sup>th</sup> June, 2018, 27<sup>th</sup> September 2019 and 3<sup>rd</sup> October 2019) by DCF (West) shall also be treated as a precondition before final permission for removal of trees in the instant proposal.
9. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
10. Compensatory Plantation/ Transplantation sites shall have to be secured from encroachment and undesired biotic interference if any by User Agency..
11. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
12. Permission for Transplantation/felling of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. Before the Transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
14. Transplantation/ Felling of any trees apart from 2940 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
15. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
16. DMRC has violated the DPTA, 1994 and by damaging the roots of some trees in the proposed Metro Corridor, for which the case is under process before the DCF (West), being the Tree Officer. The outcome/ decision of the case shall be put as a precondition before final permission and DMRC shall be bound to accept the outcome/ decisions.
17. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
18. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
19. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.
20. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the Government  
of National Capital Territory of Delhi,  
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)